

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 1567

दिनांक 15/07/2022

प्रार्थी :-

1. गंगाराम पुत्र किशनाराम
जाति जाट, निवासी रामदेरिया
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1. जोगाराम 2. चतरू पि. हीराराम 3. हुकमाराम
4. घेवरचन्द 5. पपूराम 6. जोगाराम पि. रूपाराम
7. लखाराम 8. कानाराम पि. दलाराम, जातियान सोनी
9. लाखाराम पुत्र रूपाराम 10. सताराम पुत्र दलाराम
जाति जाट, निवासी रामदेरिया (ईशरोल)
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 274/2018

दिनांक : 15.07.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र ईशरोल के मौजा रामदेरिया के खेत खसरा सं. 427/105 रकबा 01.10 एवं मौजा गिरधारी का तला के खसरा सं. 264/114 रकबा 17.08 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिममत् तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीस 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 1568 to 1571

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी गंगाराम
3. विप्रार्थीगण जोगाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
दिनांक 15/07/2022



(भागीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन